भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

 अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1024

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सीटों की संख्या**

1024. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) में सीटों की संख्या बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य की वास्तविक मांगों सहित तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) और (ख): राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (एनआईटी) राष्‍ट्रीय महत्‍व के स्‍वायत्‍त संस्‍थान है जो राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 और उसके तहत निर्मित पहली संविधि के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। एनआईटी सीटों की संख्‍या में अवर स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर दोनों स्‍तर पर नए कार्यक्रमों की शुरूआत के कारण नाममात्र की वृद्धि की है।

एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 और पहली संविधि के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्‍थान के सीनेट का संस्‍थान के शैक्षिक मामलों पर नियंत्रण होता है। अत: एनआईटी सीटों को बढ़ाने के संबंध में स्‍वयं निर्णय लेते हैं। प्रत्‍येक संस्‍थान का सीनेट विभागों या केन्‍द्रों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करता है और इसके विभागों या कार्यक्रमों या केन्‍द्रों के निर्माण या पुनर्गठन और मौजूदा विभागों या उनके केन्‍द्रों को समाप्‍त करने के संबंध में शासी बोर्ड को उपयुक्‍त सिफारिश करता है।

**\*\*\*\*\***